संख्या- 1691जेड/6-सा-1-2015-14केपी/83

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मंत्री,
उ0प्र0 स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण संस्थान,
38-दरबारी लाल शर्मा भवन, लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2016

विषय:- उ0प्र0 स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्काल प्रभाव से उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-12-1637/दस-2015, दिनांक-06 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 1691(1)/जेड/6-सा-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार एवं हकदारी, द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 सचिवालय।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 सचिवालय।
6- गोपन अनुभाग-1
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shsanadesh.up.nic.in